कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 823 / XXV–12 (1–5) / 2008 देहरादून : दिनांक 14 सितम्बर, 2015

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
समस्त जिला निर्वाचन कार्यालय,
उत्तराखण्ड।

विषयः– <u>सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र संख्या 530 दिनांक 07 सितम्बर, 2015 के साथ संलग्न श्री अरूण कुमार शर्मा, हिमालयन एक्सप्रेस, लेन 6, तपोवन रोड़, लाडपुर, देहरादून के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 25 अगस्त, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा वांछित बिन्दु संख्या– 7 एवं 8 से संबंधित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

<u>पृ0संख्या 823 / XXV–12(1–5) / 2008, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः– श्री अरूण कुमार शर्मा, हिमालयन एक्सप्रेस, लेन 6, तपोवन रोड़, लाडपुर, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

धारा 6(3)
लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय
4 बी, सुभाष रोड़, देहरादून
उत्तराखण्ड शासन।
दूरभाषः 0135–2712100/2712200

पत्र संख्याः 530 /530–मु.स./सू.अ./2015 दिनांकः 07 सितम्बर, 2015

लोक सूचना अधिकारी,
नगर विकास/निर्वाचन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

आवेदक का दिनांक **25.08.2015** का संलग्न सूचना का अनुरोध पत्र, जो लोक सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून में **04.09.2015** को प्राप्त हुआ है, आपको मूल रूप में इस आशय से भेजा जा रहा है कि इसमें मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः यथोक्त।

(हरीश चन्द्र पाण्डेय)
लोक सूचना अधिकारी,

पृष्ठांकनः /नि.स.–मु.स./सू.अ./2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– श्री अरूण कुमार शर्मा, हिमालयन एक्सप्रैस, लेन 6, तपोवन रोड, लाडपुर, देहरादून–248008 को सूचनार्थ। आप द्वारा मांगी गई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है। अतः आपके आवेदन को संबंधित विभाग के लोक सूचना अधिकारी को अग्रसारित किया जा रहा है। कृपया प्रथम अपील संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को भेजें।

2. मुख्य लेखाधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संलग्न पोस्टल आर्डर सं0 940798 (रू0 10/–) को राजकोष में जमा कराने का कष्ट करें।

(हरीश चन्द्र पाण्डेय)
लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ निजी सचिव,
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।

सेवा मे

लोक सूचना अधिकारी
का० मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन, दे० दून

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विषयक!

महोदय कृपया निम्न सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करे!

1- राज्य बनने के समय (9 नवम्बर 2000) को जिलेवार रैनबसेरो की संख्या पते सहित सूचना दे!

2- राज्य स्थापना के समय, सड़को, पार्को, रैनबसेरो, फुटपाथो खुले मे रात गुजारने वालो लोगो की जिलेवार सख्या दे!

3- आज 25.8.2015 मे सड़को, पार्को, रैनबसेरो, फुटपाथो, खुले मे रात गुजारने वालो की जिलेवार सख्या दे!

4- उत्तराखण्ड सरकार ने इन लोगो के कल्याण के लिए जो प्रयास पिछले 15 वर्षो मे किये उसकी सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराये!

5- खुले मे रात गुजारने वाले किस प्रदेश के निवासी है?

6- ये लोग किस देश के नागरिक है!

7- इनमे से कितने लोगो के मतदाता पहचान पत्र बने है! उसकी सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराये!

8- यदि मतदाता पहचान पत्र नही बने है तो राज्य निर्वाचन ने पिछले 15 वर्षो मे जो प्रयास किये उसकी सूचना उपलब्ध कराये!

8 -

सलग्न - पो०आ०-10रु०

(signature)
25/8/15

अरुण कुमार शर्मा
हिमालयन एक्सप्रेस
लेन 6, तपोवन रोड
लाडपुर देहरादून

दश टंका दश टाका ४स३पिया ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ഒരു രൂപ പത്തു രൂപ दहा रुपये ଦଶ ଟଙ୍କା दस रुपये दश रूप्यकाणि

अपरक्राम्य
NOT NEGOTIABLE

जारी करने वाले डाकघर की मोहर तारीख सहित
ISSUING OFFICE STAMP WITH DATE

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO लोक सूचना अधिकारी
का० मुख्य सचिव को
उत्तराखण्ड शासन
दस रुपए की रकम THE SUM OF RUPEES TEN ONLY

रुपए 10.00 Rs.

भुगतान करने वाले डाकघर की तारीख सहित मोहर
PAYING OFFICE STAMP WITH DATE

सत्यमेव जयते

कमीशन COMMISSION पैसे 50 PAISE

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

AT THE POST OFFICE AT
देहरादून
के डाकघर में अदा करें।

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.
अरुण कुमार शर्मा
हिमालयन एक्सप्रेस
लेन 6, तपोवन रोड
लाडपुर देहरादून.

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

16F 940798

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या- 822/XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 14 सितम्बर, 2015

सेवा में,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
लाडपुर रिंग रोड़,
मसूरी बाईपास, देहरादून।

विषयः– राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रकरणों का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नलिखित पत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया प्रकरण पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदक को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें:–

क्र0सं0	आवेदक का नाम व पत्ता	विषय	पत्र की तिथि
1.	नामांकित सदस्य नगर पालिका परीषद, बाजपुर, उधमसिंहनगर	नगर पालिका परिषद के नामांकित सदस्यों को मतदान अधिकार दिये जाने के संबंध में।	25.08.2015
2.	श्री संसार सिंह नाठियाल, ग्राम झबीरन, पो0 मंगलौर तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार	देश के गरीबों का जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लाक प्रमुख बनना मुश्किल	20.08.2015

अतः उक्तानुसार प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0संख्या 822 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– 1. श्री सुरेश बंसल (मठ्ठा) एवं अन्य समस्त नामित सदस्य नगर पालिका परिषद, बाजपुर, उधमसिंहनगर।
2. श्री संसार सिंह नाठियाल, ग्राम झबीरन, पो0 मंगलौर तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

सं0- 10276 / मुख्य सचिव / PS / 2015
दिनांक 9/9/2015

CEO
8.9.15

निजी सचिव
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा मे,

1- मा0 मुख्यमंत्री जी

उत्तराखण्ड शासन देहरादून

2- मा0 शहरी विकास मंत्री जी,

उत्तराखण्ड शासन देहरादून

विषय- नगर पालिका परीषादो के नामांकित सदस्यो को मतदान अधिकार दिये जाने के सम्बंध मे ।

श्री सेमवाल
10/9/15

महोदय,

हम नगर विकास विभाग के माध्यम से उत्तराखण्ड शासन द्वारा बाजपुर नगर पालिका परीषाद के लिये सदस्य नामांकित किये गये है इसी क्रम मे हम सम्पूर्ण उत्तराखण्ड प्रदेश के नगर पालिका परीषादो मे मतदान प्रक्रियाओ मे नामांकित सदस्य द्वारा भागलेने व मतदान के लिये मतदान मे भाग लेने के लिये अधिकृत करने हेतू प्रार्थना करते है नामांकित सदस्य अपने अधिकारो काप्रयोग करते हुये पालिका परीषाद मे जो भी मतदान हो और मतदान करने के लिये इनको अधिकृत कियाजाये इसके लिये शासनादेश जारी कराने की कृपा करे। गौरतलब है सरकार द्वारा नामांकितो को सब जगह सदस्य कर दिये गये है लेकिन पालिका बोर्ड की बैठक मे व पालिका कार्यो मे इनको कोई महत्त्व नही दिया जा रहा है जिससे कि सदस्य अपने को उपेक्षित समझ रहे है जो भी निर्माण कार्य होते है उनमे दखल अन्दाजी करने व अपनी राय देने का भी अधिकार नही है ऐसी स्थिति मे विषय की महत्त्वता को समझते हुये नामांकित सदस्यो को अन्य सब कमेटीयो मे व चुनाव प्रक्रियाओ मे भाग लेने के लिये इनको विशेष अधिकार प्रदान करने का कष्ट करे।

दिनांक- 25-8-2015

सुरेश बंसल (मदन)
नामित सदस्य
नगर पालिका परिषद बाजपुर
जिला- ऊधम सिंह नगर)

निवेदक
नामांकित सदस्य नगर पालिका परीषाद
बाजपुर ऊधमसिंह नगर।

क्लेमेन्ट पाजा
नामित सदस्य
नगर पालिका परिषद बाजपुर
जिला ऊधम सिंह नगर)

मौ0 हनीफ
नामित सदस्य
नगर पालिका परिषद बाजपुर
जिला- ऊधम सिंह नगर)

तनवीर खाँ
नामित सदस्य
नगर पालिका परिषद बाजपुर
जिला- ऊधम सिंह नगर)

सुरेश सागर
नामित सदस्य
नगर पालिका परिषद बाजपुर
ऊधम सिंह नगर)

राजस्टूड-पत्र

प्रतिष्ठा में,

श्रीमान मुख्य चुनाव आयुक्त
भारत निर्वाचन आयोग
नई दिल्ली।

विषयः देश के गरीबों का जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लाक प्रमुख बनना मुश्किल।

महोदय,

निवेदन है कि देश में पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवगत होना है कि ब्लाक प्रमुख बनने के लिए प्रति बी.डी.सी. सदस्य को वोट के बदले लगभग 15 लाख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए प्रति जिला पंचायत सदस्य को 50 लाख रुपये देने होते हैं। तभी जाकर ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का पद हासिल होता है। यदि कोई गरीब आदमी दोनों पदों में से किसी एक पद को प्राप्त करना चाहता है तो उसकी वित्तीय मदद पैसे वाला राजनैतिक माफिया करता है जिसके परिप्रेक्ष्य में यह निर्वाचित गरीब उस राजनैतिक माफिया की पूरे कार्यकाल तक कठपुतली बना रहता है।

प्रजातंत्र की गरिमा को ध्यान में रखते हुए तथा जनहित में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लाक प्रमुख का निर्वाचन स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिका परिश्याद, नगर पंचायत के चेयरमैनों के निर्वाचन के आधार पर जनता द्वारा निर्वाचित करना नितान्त आवश्यक है।

ध्यान रहे कि पंचायतों के चुनाव का आधार देश की खुशहाली, विकास, संस्कृति तथा देश की एकता पर आधारित है। पंचायत चुनाव विधायकों तथा सांसदों के चुनावों को भी प्रभावित करता है। जिसके कारण देश में गुटबाजी, मारकाट, भ्रष्टाचार, राजनीति के प्रति अविश्वास और राजनैतिक माफियों के अनैतिक कार्यों का बढ़ावा मिलता है।

राष्ट्रहित में ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा होना नितान्त आवश्यक है। दोनों पदों की वर्तमान निर्वाचन प्रणाली में गरीबों का जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख बनना बड़ा मुश्किल है। पत्र के ऊपर को प्रोटेस्ट अग्रेनीय है

दिनांक : ~~06.7.2015~~ 20/8/015

प्रार्थी
[signature]
(संसार सिंह नाठियाल)
ग्राम झबीरन, पो0 मंगलौर
तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड
मो0 9568899459

श्री सेमवाल
[initials]
S.O.

प्रतिलिपि प्रतिष्ठा में निम्नांकित को राष्ट्रहित में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

1. मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3. श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य, देहरादून।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 824 /XXV–12 /2008 (P–4) देहरादून : दिनांक 14 सितम्बर, 2015

सेवा में,

श्री राकेश कुमार, एडवोकेट,
रजि0नं0 यू0पी0–7738 / 02,
यू0के0–4795 / 04, अधिवक्ता चैम्बर नं0–51,
सिविल कोर्ट, लक्सर, जनपद हरिद्वार।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत अपेक्षित सूचनाओं के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 657 दिनांक 09 सितम्बर, 2015 के साथ संलग्न अपने सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 03 सितम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 05 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है के क्रम में अवगत कराना है कि ऐसा कोई विवरण / सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। अर्थात वांछित सूचना उपलब्ध कराई जानी सम्भव नहीं है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचना से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैंः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04–सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 657 / रा.नि.आ.-1/ 1950/2015

दिनांक 09-09-2015

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

महोदय,

कृपया श्री राकेश कुमार, एडवोकेट, रजि0नं0 यू0पी0–7738/02, यू0के0–4795/04, अधिवक्ता चैम्बर, नं0–51, सिविल कोर्ट, लक्सर, जनपद–हरिद्वार का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 03.09.2015 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 08.09.2015 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई **05 बिन्दुओं** की सूचना जो आपके विभाग से संबंधित है, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–अनुरोध पत्र की छायाप्रतिं।

(योगेश कुमार पन्त)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।

संख्या– /रा0नि0आ0अनु–1/1950/2015 तद्दिनांक।(पंजीकृत डाक से)

प्रतिलिपि– श्री राकेश कुमार, एडवोकेट, रजि0नं0 यू0पी0–7738/02, यू0के0–4795/04, अधिवक्ता चैम्बर, नं0–51, सिविल कोर्ट, लक्सर, जनपद–हरिद्वार। मो0 **9219156393**

(योगेश कुमार पन्त)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135-2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 0135-2670920, 2678945
ई-मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

657
08.09.2015

1958

सेवा में,

श्रीमान् राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड
देहरादून।

महोदय जी,

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित सूचना चाहिए सूचनाशुल्क दस रूपये का आई0पी0ओ0 नम्बर 33F- 648572 मूल रूप में संलग्न है।

बिन्दू संख्या 01:—यह कि उत्तराखण्ड राज्य का गठन किये जाने उपरान्त से दिनांक 25.08.2015 तक जो—जो उत्तराखण्ड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किये गए उन समस्त का नाम व स्थाई पता स्पष्ट शब्दो में चाहिये।

बिन्दू संख्या 02:—यह कि उत्तराखण्ड राज्य का गठन किये जाने उपरानत दिनांक 25.08.2015 तक जिला हरिद्वार का कांग्रेस कमेटी का जिला अध्यक्ष जिन—जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया उन समस्त जिला अध्यक्षो के नाम व स्थाई पते स्पष्ट शब्दो में चाहिए।

267/आ0/RS/2015
लोक सूचना अधिकारी

बिन्दू संख्या 03:—यह कि उत्तराखण्ड राज्य का गठन किये जाने के उपरान्त से दिनांक 25.08.2015 तक जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी हरिद्वार द्वारा जिन—जिन व्यक्तियों को महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी हरिद्वार नियुक्त किया गया, उन समस्त महासचिवों के नाम तथा स्थाई निवास के पते स्पष्ट शब्दो में चाहिये। तथा उनकी नियुक्ति पत्र की प्रमाणित प्रति चाहिए।

08 (सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड

बिन्दू संख्या 04:—यह कि उत्तराखण्ड राज्य का गठन होने उपरान्त से दिनांक 25.08.2015 तक क्या सुरेन्द्र नामदेव निवासी मौहल्ला सीमली वार्ड नम्बर 02 लकसर जनपद हरिद्वार को जिला कांग्रेस कमेटी हरिद्वार का महासचिव नियुक्त किया गया, यदि हॉ तो उक्त व्यक्ति को नियुक्त करने वाले सक्षम अधिकारी का नाम व पदनाम स्पष्ट शब्दो में चाहिए। यदि ना तो उक्त सन्दर्भ में स्पष्ट शब्दो में सूचना चाहिए।

अनुभाग अधिकारी-1
रा0नि0आ0
8.9.15

बिन्दू संख्या 05:—यह कि सनिवेदन पत्र की प्रमाणित छायाप्रति चाहिए।

दिनांक:— 03/09/2015

अनुरोधकर्ता:— 03/09/2015

राकेश कुमार
एडवोकेट
रजि0 नं0 यु0पी0- 7738/02
रजि0 नं0 यु0के0- 4795/04
अधिवक्ता चैम्बर नं0 51
सिविल कोर्ट, लक्सर (हरिद्वार)
मो0 9219156393

श्री जोशी
08/9/15

8/9/15

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 825/XXV–12 (1–5)/2008 देहरादून : दिनांक 14 सितम्बर, 2015

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
जिला निर्वाचन कार्यालय,
पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओं से संबंधित आवेदन पत्रों का हस्तान्तरण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 662 दिनांक 09 सितम्बर, 2015 के साथ संलग्न श्री संजय कुमार बुड़ाकोटी (राज्य आन्दोलनकारी), 218, इंदिरानगर, ऋषिकेश, जनपद देहरादून के सूचना के अधिकार संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 07 सितम्बर, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आवेदक द्वारा वांछित सूचना आपके कार्यालय से संबंधित है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया जा रहा है।

अतः कृपया नियमानुसार वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 825 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– श्री संजय कुमार बुड़ाकोटी (राज्य आन्दोलनकारी), 218, इंदिरानगर, ऋषिकेश, जनपद देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

विशेष वाहक द्वारा
पत्रांक : 662 / रा.नि.आ.-1/1952/2015

दिनांक 09-09-2015

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

महोदय,

कृपया श्री संजय कुमार बुड़ाकोटी (राज्य आन्दोलनकारी) 218, इंदिरानगर, ऋषिकेश जनपद–देहरादून का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 07.09.2015 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 09.09.2015 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि इसमें मांगी गई **06 बिन्दुओं** की सूचना जो आपके विभाग से संबंधित है, कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–अनुरोध पत्र की छायाप्रतिं।

(योगेश कुमार पन्त)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।

संख्या– / रा0नि0आ0अनु–1 / 1952 / 2015 तद्दिनांक।(पंजीकृत डाक से)

प्रतिलिपि– श्री संजय कुमार बुड़ाकोटी (राज्य आन्दोलनकारी) 218, इंदिरानगर, ऋषिकेश जनपद–देहरादून–249201

(योगेश कुमार पन्त)
अनु सचिव/
लोक सूचना अधिकारी।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135-2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 0135-2670920, 2678945
ई-मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

662
9.9.15

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड
देहरादून.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र.

महोदय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल के विषय में निम्न सूचना उपलब्ध करवाने का कष्ट करें:

1. विधानसभा चौबट्टाखाल का सम्पूर्ण परिसीमन क्षेत्र का नक्शा.
2. विधानसभा चौबट्टाखाल के अंतर्गत पड़ने वाले कुल विकास खंडों (Blocks) की संख्या व विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले सभी विकास खण्डों (Blocks) के नाम.
3. विधानसभा चौबट्टाखाल के अंतर्गत पड़ने वाले कुल ग्रामसभाओं की संख्या व प्रत्येक ग्रामसभा के अंतर्गत आने वाले गावों के नाम.
4. विधानसभा चौबट्टाखाल के कुल मतदाताओं की संख्या व पुरुष तथा स्त्री मतदाताओं की अलग अलग संख्या.
5. वर्ष २०१२ के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में विधानसभा चौबट्टाखाल से चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशियों के नाम, उनके दल व उन्हें मतदान में प्राप्त होने वाले कुल मतों की संख्या.
6. विधानसभा चौबट्टाखाल की सीमा से लगने वाली अन्य विधानसभाओं के नाम.

आपसे अनुरोध है की उपरोक्त बिन्दुवार सूचना शीघ्र उपलब्ध करवाने की कृपा करें.

धन्यवाद

दिनांक: 07/09/2015
संलग्नक: पो० आ० सं० 33F 663783 (मूल्य रु० 10.00)

आवेदक
Sanjay
संजय कुमार बुड़ाकोटी
(राज्य आन्दोलनकारी)
218, इंदिरानगर, ऋषिकेश,
जनपद देहरादून - २४९२०१
उत्तराखण्ड राज्य

अ० भा० अधिकारी -1
नि०लो०सू०अ०
[illegible]
9.9.15
लो०सू०अ०
श्री जोशी
9/9/15
S.O.